

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखांड, राँची।

दिनांक-01.07.2023

सेवा में,

**DR. NEETA PANDEY,**  
**CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL,**  
**KANKE ROAD RANCHI JHARKHAND.**

**बिषय :-** मौजा—Kathorgonda, प्लाट नं0—1,2,3,7,8,10, खाता न0—682, वार्ड नं0—N/A थाना—Kanke 201, जिला—राँची में निर्मित प्रत्येक स्कूल भवनों हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन—लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित प्रत्येक स्कूल भवनों के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आड़े हाउस, राँची के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—398 दिनांक—24.06.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त निर्मित प्रत्येक स्कूल भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक स्कूल भवनों में कम से कम दस—दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के दोनों स्टेयरकेश एक—एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके दोनों स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 63mm डाया का डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय तथा एक—एक अदद डिलिवरी होज एवं एक—एक अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
3. प्रत्येक स्कूल भवनों में 450ली0 / मि0 क्षमता का एक—एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. इन सभी पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
5. प्रत्येक स्कूल भवनों के प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
6. प्रत्येक स्कूल भवनों के परिसर में एक—एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
  - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
  - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
  - iii. Water CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
7. स्कूल भवनों में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
8. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
10. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
11. प्रत्येक स्कूल भवनों के विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
12. स्कूल भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
13. स्कूल भवनों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. स्कूल भवनों के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
15. स्कूल भवनों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
16. स्कूल भवनाके के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. स्कूल भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।

18. स्कूल भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
19. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

**(जगजीवन राम)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।